-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी की मिशन शक्ति टीम पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 350 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी की मिशन टीम द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 30.09.2025 को देर रात्रि थाना नरैनी की मिशन टीम नवरात्र के दृष्टिगत कस्बा नरैनी में देवी पण्डालों के आस-पास भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध सूखे गांजे के साथ कालिंजर रोड स्थित आरा मशीन के पास खड़ा है। सूचना पर तत्काल मिशन शक्ति टीम द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 02 किलो 350 ग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कोमल सिंह पुत्र रामकृष्ण सिंह निवासी शंकरपुर थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 326/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रक्षा देवी
2. का0 जितेन्द्र सिंह
3. का0 अंकित कुमार सिंह
4. म0का0 शिक्षा राठौर
5. म0का0 प्रिया यादव